3 57

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

पत्रांकः वि0प्रा0/स्था0(बी0आई0टी0)–18/12– 3458/राँची, दिनांक :– 1.02.2013

प्रेषक,

डॉ0 ए0के0 पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– बी0आई0टी0 सिन्दरी (धनबाद) में गैरयोजनान्तर्गत प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों के सृजन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने बी0आई0टी0, सिन्दरी (धनबाद) में गैरयोजनान्तर्गत प्राध्यापक–12 (बारह) (यांत्रिक अभियंत्रण–04, विद्युत अभियंत्रण–03, उत्पादन अभियंत्रण–01, धातूकर्म अभियंत्रण–01, रासायनिक अभियंत्रण–01, असैनिक अभियंत्रण–02), सह–प्राध्यापक–33 (तैंतीस) (यांत्रिक अभियंत्रण–08, विद्युत अभियंत्रण–07, धातूकर्म अभियंत्रण–05, रासायनिक अभियंत्रण–03, असैनिक अभियंत्रण–07, इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन –01, कम्प्युटर साईंस–01, एम0बी0ए0–01 एवं सहायक प्राध्यापक–38 (अड़तीस) (विद्युत अभियंत्रण–10, उत्पादन अभियंत्रण–04, धातूकर्म अभियंत्रण–02, रासायनिक अभियंत्रण–08, इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन–02, खनन अभियंत्रण–04, कम्प्युटर साईंस एण्ड इंजिनियरिंग–04, भूगर्भ शास्त्र–01, एम0बी0ए0–03) पर पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्राध्यापक–01 (एक) (गणित–01), सह–प्राध्यापक–03 (तीन) (रसायन शास्त्र–01, गणित–01 एवं एम0बी0ए0 पी0जी0–01 एवं सहायक प्राध्यापक–18 (अठारह) (यांत्रिक अभियंत्रण–08, विद्युत अभियंत्रण–02, धातूकर्म अभियंत्रण–02, असैनिक अभियंत्रण–01, भौतिकी–03, रसायन शास्त्र–02) के प्रशासी पदवर्ग समिति के परामर्श से प्रत्यार्पण की जाती हैं।

3. उक्त स्थापना पर होने वाले व्यय गैर योजना मुख्य शीर्ष–2203 तकनीकी–शिक्षा लघु–शीर्ष–112–इंजिनियरीग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण से विकलनीय होगा।

4. सृजित पदो पर भर्ती के लिए अर्हता एवं वेतनमान झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली–2013 के प्रावधान एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा। जिस बिन्दु पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) का मापदण्ड निर्धारित नही है उस बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड मान्य होगा एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–784, दिनांक 31.03.2012 के अनुसार होगी। सभी स्वीकृत की जाने वाली पदों पर नियुक्ति झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर होगी।

56

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी (धनबाद) होगे।

6. राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जाएगी।

7. व्यय की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं अन्य सुसंग निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का पालन सख्ती से किया जायगा।

10. प्रस्ताव पर पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

11. मंत्रिपरिषद् ने पद स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की है कि राज्य में स्थापित औद्योगिक संस्थानों द्वारा बी0 आई0 टी0, सिन्दरी के छात्रों के लिए कैम्पस सलेक्शन की कार्रवाई निश्चित रुप से की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 ए0के0 पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः वि0प्रा0/स्था0(बी0आई0टी0)–18/12– /राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 ए0के0 पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः वि0प्रा0/स्था0(बी0आई0टी0)–18/12– 3452/राँची, दिनांक :– 10/12/13

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, उद्योग विभाग/ आंतरिक वित्तिय सलाहकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/निदेशक, बी0आई0टी0, सिन्दरी (धनबाद)/विभाग के सभी पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/12/13

(डॉ0 ए0के0 पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव